

न्यायालय तहसीलदार कठूमर जिला अलवर (राज0)

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का

वसठ

बनाम अनूप निरजंन जोरमल सावन

विठ शिवन कुम्हार मणकी

निर्णय

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- RA/15/2022

निर्णय दिनांक :- 15/3/2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम माठकी की आ0 ख0 नं0 S40 कुल रकबा 0.2500 किस्म जमीन गौठुमरधर में से 0.02 रकबे पर श्री अनूप निरजंन जोरमल सावन पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर विठ शिवन कुम्हार ने कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का वसठ मसारी द्वारा दिनांक सितंबर 22/3/2022 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू0 अ0 निरीक्षक वसठ के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी अनूप निरजंन जोरमल सावन जाति कुम्हार निवासी माठकी को भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी अनूप निरजंन जोरमल वसठ उपस्थित नहीं हुआ/हुआ। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है। जिसमें अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण हटाने की लिखित सहमति दी गई।

उक्त रकबा आ0 ख0 नं0 S40 रकबा 0.2500 में से 0.02 रकबे किस्म गौठुमरधर है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 44 का 50 गुणा 22/ रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है। मांग कायमी हेतु टी.आर.ए. को लिखा जावे। पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी वसठ भू0 अ0 निरीक्षक वसठ को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

माठकी
तहसीलदार (अलवर)
तहसीलदार
तहसील (कठूमर)